राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 966/2025

प्रेमलता अग्रवाल **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. अतिरिक्त आयुक्त एवं संयुक्त सचिव (प्रथम), ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, डीग।
4. खण्ड विकास अधिकारी, पंचायत समिति डीग, जिला डीग।
5. राजेश, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत मोरोली मुख्यालय अतिरिक्त चार्ज ग्राम पंचायत सांवई, पंचायत समिति डीग।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 20.01.2025
आदेश की दिनांक : 19.02.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री गिरिराज राजोरिया, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री राधिका महरवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी को वर्ष 1999 में ग्राम विकास अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया था। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 31.03.2023 (अनुलग्नक–2) द्वारा अपीलार्थी को वर्तमान स्थान सांवई मुख्यालय पर स्थानांतरित किया गया था लेकिन इससे पहले आदेश दिनांक 19.12.2022 द्वारा निजी प्रत्यर्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर समायोजित किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 10.01.2025 (अनुलग्नक–1) द्वारा निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 को समायोजित करने के लिए अपीलार्थी को ग्राम पंचायत सांवई मुख्यालय से बरई मुख्यालय स्थानांतरित किया गया, जो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 89(8ए) और राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 289 के प्रावधानों के विपरीत है। अपीलार्थी को खण्ड विकास अधिकारी द्वारा स्थानान्तरित किया गया है, जो आदेश पारित करने के लिए सक्षम अधिकारी नहीं है। आलोच्य आदेश बिना किसी प्रशासनिक अत्यावश्यकता के ईर्ष्या एवं द्वेष की भावनावश निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 को समंजित करने के आशय से

जारी किया गया है, जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डॉ॰ अजय कुमार शर्मा बनाम राजस्थान राज्य में प्रतिपादित अवधारणा के विपरीत है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर प्रत्यथ्री विभाग के आदेश दिनांक 10.01.2025 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जावे तथा प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर नियमित वेतन और सभी लाभों के साथ कार्य करने दिया जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्ता को अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा आदेश दिनांक 10.01.2025 (अनुलग्नक–1) के विरूद्ध अनुतोष चाहा गया है, जिसके द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण ग्राम पंचायत सांवई मुख्यालय से बरई मुख्यालय में किया गया है। आलौच्य आदेश प्रशासनिक स्थापना समिति पंचायत समिति डीग की बैठक के प्रस्ताव पारित होने के पश्चात आलौच्य आदेश जारी किया गया। आलौच्य आदेश में अपीलार्थी के स्थानान्तरित स्थान का पूर्ण रूप से अंकन किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। अपीलार्थी के स्थान पर निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को समंजित करने के सम्बन्ध में **डॉ0 अजय कुमार शर्मा बनाम राजस्थान सरकार व अन्य 2003(1) डब्लू.एल.सी. (राज.) 438** का निर्णय उदृत किया गया है। प्रकरण में यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि बिना किसी उचित कारण के निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 को अनुचित फायदा पहुंचाने के उद्देश्य से उसको अपीलार्थी के स्थान पर पदस्थापित किया गया है। हमारे मत में डॉ0 अजय कुमार शर्मा के केस के तथ्य भिन्न हैं और इस निर्णय से अपीलार्थी को कोई मदद नहीं मिलती है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आलौच्य आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदन पश्चात जारी किया गया है जिसमें हम किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं पाते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)